Order Sheet [Contd] ______ ase No 334/2017 बी.ए

	Case No 554,	/ 2017 91.5
Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
23-09-2017	आवेदक / अभियुक्त आदिराम गुर्जर की ओर से श्री जी०एस० गुर्जर अधिवक्ता। राज्य की ओर से अपर लोक अमियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर। पुलिस थाना गोहद चौराहा से अप०क० 113/17 अंतर्गत धारा 420, 467, 468 भा०दं०वि० की केश डायरी प्रतिवेतन सहित प्रस्तुत। प्रकरण में आवेदक / अभियुक्त आदिराम गुर्जर की ओर से अधिवक्ता श्री जी०एस० गुर्जर द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फौ० पेश कर निवेदन किया है कि आवेदक के द्वारा कोई अपराध नहीं किया है, उसे पुलिस थाना गोहद चौराहा द्वारा झूठी रिपोर्ट के आधार पर अपराध करने वाले लोगों को बचाने के उद्देश्य से आवेदक / अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। आवेदक ग्रामीण परिवेश का होकर सीधा साधा अनपढ व्यक्ति है जो केवल हस्ताक्षर करना जानता है। जबिक आवेदक का उक्त अपराध से कोई संबंध सरोकार नहीं है। वह जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः उसे उचित जमानत मुचलके पर छोडे जाने का निवेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अमियोजक ने जमानत आवेदनपत्रका विरोध करते हुए निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है। आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि आवेदक / अभियुक्त बुजुर्ग ग्रामीण कृषक है, उसने कोई अपराध नहीं किया है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया है। वर्तमान में कृषि कार्य/वोवनी का कार्य प्रारंभ होने वाला है और इसी आधार पर जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की है। केश डायरी के अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदक / अभियुक्त पर अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर फतेहपुर में सर्व कमांक 434 रकवा 0.66 हे0 भूमि जो कि शासकीय भूमि है के फर्जी पट्टे बनाकर लोगों के पट्टा वितरित करने का आरोप होकर छल एवं कूटरचना का गंभीर आरोप है। प्रकरण में अभी अनुसंधान चल रहा है। ऐसी स्थिति में प्रकरण की परिस्थिति एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर छोडा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फी० स्वीकार योग्य न होने से निरस्त	A TOWN

